

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (MOPRO)

कर्मचारी कल्याण कोष

नियमावली

यह नियमावली अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना तथा उसके संचालन के संबंध में प्रभावशील मानी जावेगी।

अध्याय-1

- (क) यह नियम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष नियम कहलायेगा। इन नियमों का प्रभाव क्षेत्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अशैक्षणिक कर्मचारियों तक ही सीमित होगा।
- (ख) यहां कर्मचारियों से तात्पर्य इस विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में सेवारत अशैक्षिक कर्मचारियों से है।
- (ग) इस कोष से दी जाने वाली सहायता अथवा ऋण अन्य किसी सहायता अथवा ऋण से अप्रभावित रहेगी।

अध्याय-2

कोष का उद्देश्य

- (क) ऐसे कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सहायता करना, जिन्हें आपदाग्रस्त अथवा अभाव ग्रस्त होने के कारण सहायता की आवश्यकता है। आश्रितों से तात्पर्य कर्मचारी को उन पत्नी, पुत्र, और पुत्री से है, जिनका स्वयं का कोई आय का स्रोत न हो। विशिष्ट स्थिति में आश्रितों के रूप में कर्मचारी के माता पिता भाई और सगी बहन भी माने जा सकते हैं जो उन पर आश्रित हो तथा जिनकी स्वयं का कोई आय का स्रोत न हो।

अध्याय-3

कोष का उपयोग

किसी भी स्थिति में निर्धारित निम्न उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिये इस कोष को राशि का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालय या उसकी किसी समिति या अधिकारी को नहीं होगा। अध्याय 2 में निर्दिष्ट "कोष" के उद्देश्यों के अनुरूप निम्न स्थितियों में ही कोष की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

- ✓ (1) यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवाकाल में हो जाती है तो उसके आश्रित व्यक्तियों को सहायतार्थ सहायता राशि अविलम्ब दी जावेगी।
- ✓ (1क) मृत्योपरान्त कर्मचारी के आश्रितों को प्रदान की जानेवाली सहायता राशि पांच हजार रुपये होगी।
- ✓ (1ख) इस प्रकार की सहायता किसी भी कर्मचारी के इस प्रकार से विकलांग होने पर भी दी जा सकती है। यदि विकलांगता से कर्मचारी की नौकरी समाप्त हो जाती है।

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature and the word "Gaur" in a circle.

(2)

कर्मचारी की दीर्घकालिक/असाध्य बीमारियों में (यथा कुष्ठ रोग, पक्षापाद, कैंसर, तपैदिक तथा विक्षिप्तता) उपचारार्थ ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह ऋण राशि अधिकतम तीस हजार रुपये तक होगी। इस ऋण को प्राप्त करने के लिये आवेदक को विशेषज्ञ शासकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसमें बीमार को किसी विशेष अस्पताल में ले जाने की अनुशंसा हो।

(2ख) यदि उक्त दीर्घकालिक/असाध्य बीमारी से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उक्त ऋण को सहायता राशि मान लिया जायेगा।

(3) यदि किसी कर्मचारी के आश्रित, दीर्घकालिक/असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो उनके उपचारार्थ भी आवेदन पर ऋण दिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में यह ऋण 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) से अधिक नहीं होगा। इस ऋण को प्राप्त करने के लिये आवेदक की शासकीय विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना होगा जिससे किसी बीमार को विशेष अस्पताल में ले जाने की अनुशंसा हो।

(4) कर्मचारी को आश्रित पुत्री/पुत्र और बहन के विवाह के लिए ऋण दिया जा सकता है। यह ऋण अधिकतम पुत्री की शादी हेतु 40000/- पुत्र की शादी हेतु 30000/- ब्रतबन्ध/कर्णभेदन हेतु 10,000/- एवं भवन मरम्मत हेतु 30,000/- रुपये होगा।

(5) कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री के विशिष्ट उच्च अध्ययन(मेडिकल, इंजीनियरिंग टेक्निकल) के लिए भी ऋण दिया जा सकेगा। यह ऋण अधिकतम बीस हजार रुपये होगा।

अध्याय-4

सहायता/ऋण प्राप्त करने की पात्रता एवं विधि

(1) कर्मचारी कल्याण कोष से विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी सहायता ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जो विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में नियुक्त है तथा कम से कम दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके है। और जो निर्धारित दो प्रतिशत की कटौती वेतन से कराने को सहमत है।

टिप्पणी-

(1) दो वर्ष तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में सेवा को अनिवार्यता उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो सेवाकाल में दिवंगत हो गए है और उनके आश्रितों द्वारा सहायता की मांग की गई है।

(2) किसी भी कर्मचारी को दुबारा ऋण नहीं दिया जा सकेगा, यदि पूर्व में दिया गया सम्पूर्ण ऋण अदा न कर दिया गया हो।

(3) ऋण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सिक्योरिटी बान्ड होगा। (सहायतार्थ आवेदन के लिये सिक्योरिटी बान्ड आवश्यक नहीं होगा)।

(4) ऋण तभी दिया जावेगा, जब आवेदक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की सहमति प्रस्तुत कर देगा कि ऋण के किशतों की कटौती मासिक वेतन से कराया जाना उसे स्वीकार है।

(5) ऋण राशि ब्याज सहित अधिकतम 36 किशतों में वापस की जावेगी।

(6) ऋण पर पाँच प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कर्मचारी कल्याण कोष

नियमावली

यह नियमावली अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना तथा उसके संचालन के संबंध में प्रभावशील मानी जावेगी।

अध्याय-1

- (क) यह नियम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष नियम कहलायेगा। इन नियमों का प्रभाव क्षेत्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अशैक्षणिक कर्मचारियों तक ही सीमित होगा।
- (ख) यहां कर्मचारियों से तात्पर्य इस विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में सेवारत अशैक्षिक कर्मचारियों से है।
- (ग) इस कोष से दी जाने वाली सहायता अथवा ऋण अन्य किसी सहायता अथवा ऋण से अप्रभावित रहेगी।

अध्याय-2

कोष का उद्देश्य

- (क) ऐसे कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सहायता करना, जिन्हें आपदाग्रस्त अथवा अभाव ग्रस्त होने के कारण सहायता की आवश्यकता है। आश्रितों से तात्पर्य कर्मचारी को उन पत्नी, पुत्र, और पुत्री से है, जिनका स्वयं का कोई आय का स्रोत न हो। विशिष्ट स्थिति में आश्रितों के रूप में कर्मचारी के माता पिता भाई और सगी बहन भी माने जा सकते हैं जो उन पर आश्रित हो तथा जिनकी स्वयं का कोई आय का स्रोत न हो।

अध्याय-3

कोष का उपयोग

किसी भी स्थिति में निर्धारित निम्न उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिये इस कोष को राशि का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालय या उसकी किसी समिति या अधिकारी को नहीं होगा। अध्याय 2 में निर्दिष्ट "कोष" के उद्देश्यों के अनुरूप निम्न स्थितियों में ही कोष की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

- (1) यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवाकाल में हो जाती है तो उसके आश्रित व्यक्तियों को सहायतार्थ सहायता राशि अविलम्ब दी जावेगी।
- (1क) मृत्योपरान्त कर्मचारी के आश्रितों को प्रदान की जानेवाली सहायता राशि पांच हजार रुपये होगी।
- (1ख) इस प्रकार की सहायता किसी भी कर्मचारी के इस प्रकार से विकलांग होने पर भी दी जा सकती है। यदि विकलांगता से कर्मचारी की नौकरी समाप्त हो जाती है।

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

ऋण वापस कराने हेतु निर्देश

- (1) ऋण की कटौती ऋण प्राप्त करने के माह के उपरान्त से दूसरे माह के वेतन से प्रारम्भ की जावेगी।

अध्याय-5

1. इस कोष के संचालन हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगा-
- (1) विश्वविद्यालय के कुलपति समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव समिति के पदेन सचिव होंगे।
- (2) विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के अध्यक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (3) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत दो सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे।
2. समिति की बैठके-
- (क) समिति की बैठके बुलाने तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने का दायित्व अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव का होगा।
- (ख) समिति की बैठके आवश्यकतानुसार होगी। (सामान्यतः दो माह में)
- (ग) समिति की गणपूरक संख्या तीन होगी।
- (घ) कुलपति महोदय की अनुपस्थिति में बैठक समिति का कार्यकाल निरन्तर बना रहेगा किन्तु कार्यपरिषद के सदस्य उसी अवधि तक समिति के सदस्य रहेंगे जिस अवधि तक वे कार्यपरिषद सदस्य रहेंगे।

अध्याय-6

समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य

- समिति के निम्न अधिकार एवं दायित्व होंगे:-
- (क) कोष की व्यवस्था, संचालक, सम्वर्धन एवं उपयोग करना।
- (ख) वार्षिक आय-व्यय तैयार करना।
- (ग) आवेदनों पर निर्णय करना।
- (घ) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- (ङ) ऋणों की अदायगी न होने पर उचित और आवश्यकतानुसार कार्यवाही का निर्णय लेना।
- (च) नियमों के संशोधन के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना एवं कार्यपरिषद की अनुशंसा करना।
- (छ) कोष की वृद्धि हेतु उपायों के संबंध में निर्णय लेना।

अध्याय-7

कोष हेतु आय के साधन

- (1) विश्वविद्यालय इस कोष में समय-समय पर कोष की स्थिति का पर्यवेक्षण कर उचित अनुदान देता रहेगा।
- (2) (क) कर्मचारियों के वेतन से 2 प्रतिशत प्रति माह कटौती कर कोष में जमा की जावेगी।

- (ख) अशैक्षणिक कर्मचारियों के परीक्षा कार्य हेतु भुगतान योग्य पारिश्रमिक से 2 प्रतिशत राशि काटकर कर्मचारी कल्याण कोष में रखा जाय।
- (3) कोष हेतु शासकीय/अशासकीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा।
- (4) इस कोष का नगर के किसी भी बैंक में (जिसका निर्णय समिति करेगी) अलग से जमा करना होगा। यह खाता कर्मचारी कल्याण कोष के शीर्ष(हेड) से नामांकित होगा। कोष की समस्त राशि इसी खाते में होगी। रूपये 250000/- करेन्ट एकाउन्ट में तथा शेष राशि फिक्स डिपोजिट में रखा जाय।

हस्ता०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2017/45

रीवा दिनांक 24.01-17

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 10.01.2017 के अनुशंसा अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	ऋण का उद्देश्य	स्वीकृत ऋण
1	श्री ददोल प्रसाद साकेत, अधीक्षक	पुत्री की शादी	60,000.00
2	श्री आदित्य कुमार शुक्ल, वरि0का0सहा0	स्वयं के इलाज हेतु	40,000.00
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, कार्य सहायक	स्वयं के इलाज हेतु	40,000.00
4	श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, कार्य सहायक	मकान मरम्मत हेतु	30,000.00
5	श्री वीरेन्द्र सिंह, सुरक्षाकर्मी	पुत्र की शादी	50,000.00
6	श्री गणेश सिंह, दफ्तरी	मकान मरम्मत हेतु	30,000.00
7	श्री सुरेश कुमार तिवारी, क्लीनियर	पुत्र की शादी	60,000.00
8	श्री जगदीश प्रसाद पटेल, चौकीदार	पुत्री की शादी	60,000.00
9	श्री लक्ष्मीदीन वर्मा, चौकीदार	पुत्री की शादी	60,000.00
10	श्री त्रिवेणी प्रसाद शर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
11	श्री रमाकान्त तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
12	श्री रमाकान्त शुक्ला, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
13	श्री राजकुमार केवट, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00


1. श्री बैजनाथ कोल, भृत्य को कर्मचारी कल्याण कोष की सदस्यता मान्य हो जाने के फलस्वरूप इनके मासिक देय वेतन में से कर्मचारी कल्याण कोष की नियमावली के अनुसार सदस्यता शुल्क की कटौती कर उक्त कोष में जमा की जावे।
2. श्री अशोक कुमार शुक्ल, अधीक्षक एवं श्री राजरूप पाण्डेय, अधीक्षक की सदस्यता कर्मचारी कल्याण कोष से सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण इनके वेतन से कटौती कर उक्त कोष में जमा राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही यदि उक्त कोष की कोई ऋण राशि हो, तो उसे समायोजन करने के पश्चात् निवल राशि भुगतान की जावे।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


सहा0 कुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2017/751

रीवा दिनांक 15-11-17

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 10.11.2017 के अनुशंसा अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	मांगी गई राशि	स्वीकृति राशि
1	श्री रामनरेश कोल, विभागीय अधिकारी	पुत्री के शादी हेतु	60,000	60,000
2	श्री आदित्य प्रताप सिंह, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	60,000	60,000
3	श्री उदयरज सिंह, प्रयोगशाला सहायक	मकान मरम्मत हेतु	60,000	40,000
4	श्री कौशल प्रसाद मिश्र, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	60,000	60,000
5	श्री किशन लाल, भृत्य	बहन की शादी हेतु	60,000	60,000
6	श्री सनत कुमार सेन, भृत्य	बहन की शादी हेतु	60,000	60,000
7	श्री संजय कुमार कामत, भृत्य	बहन की शादी हेतु	1,00,000	60,000
8	डॉ.नईमुद्दीन, फोटोग्राफर	सदस्यता एवं पुत्री की शादी हेतु	60,000	60,000
9	श्री लल्लू लाल, स्वीपर	स्वयं की बीमारी हेतु	80,000	40,000
10	श्री शिवेन्द्र तिवारी, कार्यसहायक	मकान मरम्मत	50,000	40,000
11	श्री सीताराम काष्ठी, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	70,000	60,000
12	श्रीमती आरती चतुर्वेदी, कार्यसहायक	ननद शादी हेतु	60,000	60,000
13	श्री रविकान्त रावत, सहा.शिक्षक	बहन की शादी हेतु	1,00,000	60,000
14	श्री अशोक कुमार कामत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000	1,00,000
15	श्रीमती शर्मिला देवी कोल, वरि.कार्यसहायक	सदस्यता/सहायता पुत्री की शादी हेतु	60,000	60,000
16	श्रीमती पूजा केवट, भृत्य	सदस्यता/सहायता भांजी की शादी हेतु	60,000	-
17	श्री राकेश कुमार वर्मा	सदस्यता हेतु	-	-
18	श्री योगेन्द्र साकेत, भृत्य	सदस्यता हेतु	-	-
19	श्री कृष्ण कुमार पटेल, भृत्य	सदस्यता हेतु	-	-
		कुल रु.	8,80,000	

- क्रमांक 08 एवं क्रमांक 16 से 19 तक के कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण कोष की सदस्यता मान्य की गई।
 - क्रमांक 1 से 15 तक के कर्मचारियों के सम्मुख अंकित राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
 - श्री अशोक कुमार कामत, भृत्य को कर्मचारी कल्याण कोष से विशेष परिस्थिति में रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) स्वीकृत किया जाता है। भविष्य में इसे उदाहरण न माना जाय।
- नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत राशि भुगतान के पहले आमंत्रण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- संबंधित कर्मचारीगण
- वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
- संबंधित नस्ती

उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2017/604

रीवा दिनांक 30-08-17

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैर 3 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जाएगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशासित राशि
1	श्री विश्वनाथ प्रसाद पटेल, चालक	माकान मरम्मत	30,000.00
2	श्री कृ. कुमार सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी	60,000.00
3	श्री प्रेमलाल कोल, अधीक्षक	पुत्र की शादी	60,000.00
4	श्री संजय कुमार आदिवासी, भृत्य	बहन की शादी	60,000.00
5	श्री ओमप्रकाश यादव, भृत्य	पत्नी के इलाज हेतु	40,000.00
6	श्री प्रमोद कुमार वर्मा, चालक	माकान मरम्मत	30,000.00
7	श्री अमर सिंह, चौकीदार	पुत्री की शादी	60,000.00
8	श्री वेनीमाधव मिश्र, अधीक्षक	पुत्री की शादी	60,000.00
9	श्री पुष्पराम सिंह, सुरक्षा कर्मी	स्वयं का इलाज	40,000.00
10	श्री कैलाश चर्मकार, व.कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
11	श्री रामकृपाल साकेत, व.कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
12	श्री भरतलाल पटेल, भृत्य	बहन की शादी	60,000.00
13	श्री जयनारायण सोनी, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
14	श्री सतन्द्र सिंह, कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
		कुल योग रुपये	7,40,000.00

सदस्यता हेतु -

1	श्री राजराखन राय साकेत, भृत्य
2	श्री किशनलाल स्वीपर, भृत्य
3	श्री अनुज कुमार पटेल, भृत्य
4	श्री सनत कुमार सेन, चौकीदार


उपरोक्त कर्मचारियों की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर उक्त कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यता समाप्ति हेतु -

श्री अमृत लाल तिवारी, कार्यसहायक, वित्त विभाग एवं श्री बुद्धसेन मिश्र, अधीक्षक की सदस्यता समाप्ति की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


कुलसचिव 29.8.17

सहा0 कुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2017/604

रीवा दिनांक 30-08-17

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा 5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशंसित राशि
1	श्री विश्वनाथ प्रसाद पटेल, चालक	माकान मरम्मत	30,000.00
2	श्री कृष्ण कुमार सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी	60,000.00
3	श्री प्रेमलाल कोल, अधीक्षक	पुत्र की शादी	60,000.00
4	श्री संजय कुमार आदिवासी, भृत्य	बहन की शादी	60,000.00
5	श्री आनंद काश यादव, भृत्य	पत्नी के इलाज हेतु	40,000.00
6	श्री प्रमोद कुमार वर्मा, चालक	माकान मरम्मत	30,000.00
7	श्री अमर सिंह, चौकीदार	पुत्री की शादी	60,000.00
8	श्री वेनीमाधव मिश्र, अधीक्षक	पुत्री की शादी	60,000.00
9	डॉ. पुष्पराज सिंह, सुरक्षा कर्मी	स्वयं का इलाज	40,000.00
10	श्री कैलाश चर्मकार, व.कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
11	श्री रामकृपाल साकेत, व.कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
12	श्री भरतलाल पटेल, भृत्य	बहन की शादी	60,000.00
13	श्री जयनारायण सोनी, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
14	श्री सतन्द्र सिंह, कार्यसहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
		कुल योग रुपये	7,40,000.00

सदस्यता हेतु -

1	श्री राजराखन राय साकेत, भृत्य
2	श्री किशनलाल स्वीपर, भृत्य
3	श्री अनुज कुमार पटेल, भृत्य
4	श्री जनक कुमार सेन, चौकीदार

उपरोक्त कर्मचारियों की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर उक्त कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यता समाप्ति हेतु -

श्री अमृत लाल तिवारी, कार्यसहायक, वित्त विभाग एवं श्री बुद्धसेन मिश्र, अधीक्षक की सदस्यता समाप्त की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलसचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

कुलसचिव 29.8.17

सहा0 कुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2018/66

रीवा दिनांक 23/1/18

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशंसित राशि
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवस्थी, सहायक अधीक्षक	पुत्र की शादी	60,000.00
2.	श्री रामानंद दुबे, कार्य सहायक	पुत्र की शादी	60,000.00
3.	श्री शशिकान्त तिवारी, कार्य सहायक	पुत्री की शादी	60,000.00
4.	श्रीमती आशा अनुरागी, कार्य सहायक	कर्मभेद संस्कार	60,000.00
5.	श्री रामसुजान साकेत, जमादार	पुत्री की शादी	1,00,000.00
6.	श्रीमती पूजा केवट, भृत्य	माकान मरम्मत	40,000.00
7.	श्रीमती पुनीता दुबे, भृत्य	पुत्र की शादी	60,000.00
8.	श्री संतोष कुमार पाठक, भृत्य	माकान मरम्मत	40,000.00
9.	श्री रामसुन्दर काछी, भृत्य	पुत्री की शादी	60,000.00
10.	श्री ओमप्रकाश, स्वीपर	पुत्री की शादी	60,000.00
11.	श्री करण सिंह, भृत्य	माकान मरम्मत	40,000.00
12.	श्री नन्द किशोर वर्मा, चौकीदार	पुत्री की शादी	60,000.00
13.	श्री अमर सिंह, चौकीदार	दुरागवन हेतु	1,00,000.00
14.	श्री रामप्रसाद पटेल, भृत्य	माकान मरम्मत	40,000.00
		कुल योग रुपये	8,40,000/-

सदस्यता हेतु -

1	श्री रामप्रसाद पटेल, भृत्य
2	श्री संजय सिंह, भृत्य
3.	श्री ओमप्रकाश ताम्रकार, विभागीय अधिकारी

उपरोक्त कर्मचारियों की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर उक्त कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोट- बिन्दु क्रमांक 05 व 13 को विशेष परिस्थिति में 1,00,000/- (एक लाख) मान्य, इसे उदाहरण न माना जाय।

[Signature]
कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

[Signature]
उप कुलसचिव (कार्मिक)

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।


क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री ओम प्रकाश ताप्रकार	पुत्र का विवाह	
2	श्री बृजभान साकेत	पुत्री की शादी	1,00,000.00
3	श्री चन्द्रभूषण तिवारी	पुत्री की शादी	1,00,000.00
4	श्री रामलाल तिवारी	पुत्री की शादी	1,00,000.00
5	श्री आशुतोष राय	पुत्र की शादी	60,000.00
6	श्री गोमती सिंह	पुत्री की शादी	30,000.00
7	श्री राजराखन साकेत	बहन की शादी	1,00,000.00
8	श्री अनन्त कुमार वर्मा	पुत्री की शादी	60,000.00
9	श्री अशोक कुमार वर्मा	पुत्री की शादी	60,000.00
		कुल योग रुपये	7,10,000.00

नोट - पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत राशि आमंत्रण कार्ड प्रस्तुत करने पर ही राशि का भुगतान किया जाय


कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

रीवा दिनांक 31/5/18

क्रमांक / कार्मिक / 2018 / 291

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशासित राशि
1.	श्री रामसुमिरन साकेत, सहा.अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	60,000 / -
2.	श्री सुनील सिंह, वरि.कार्यसहायक	माकान मरम्मत हेतु	40,000 / -
3.	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	60,000 / -
4.	डॉ. कृष्णेंद्र कुमार मिश्र, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	60,000 / -
5.	श्री दिलीप कुमार साकेत, कार्यसहायक	बहन की शादी हेतु	60,000 / -
6.	श्री भगवानदीन पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	60,000 / -
7.	श्री श्यामसुन्दर बाजपेयी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	60,000 / -
8.	श्री बृजनन्दन सिंह, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	40,000 / -
9.	श्री रामकिशोर साकेत, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	60,000 / -
10.	श्री जगन्नाथ यादव, भृत्य	पुत्री का दुरागमन	60,000 / -
		कुल-योग रुपये	5,60,000 / -

सदस्यता हेतु -

1.	श्री रागेश सिंह, लैब अटेंडेंट
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे, भृत्य

उपरोक्त कर्मचारियों की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर उक्त कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यता समाप्ति हेतु -

श्री राधेश्याम तिवारी, चालक की सदस्यता समाप्त की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

श्रीवा (म0प्र0)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2018/482

रीवा दिनांक 24/08/18

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशंसित राशि
1.	श्री रामकिशुन साकेत, अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
2.	श्री जोखूलाल साहू, वरिष्ठ कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
3.	श्री बुद्धसेन पटेल, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
4.	श्री ज्ञानसागर तिवारी, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
6.	श्री चेलनाथ सिंह, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, कार्य सहायक	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
8.	श्री उमेश सिंह, कार्य सहायक	बहन की शादी हेतु	60,000/-
9.	श्री सतेन्द्र सिंह, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
10.	श्री राकेश कुमार वर्मा, कार्य सहायक	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
11.	श्री रागेश सिंह, लैब तक.	भर्ताजी की शादी हेतु	1,00,000/-
12.	श्री कन्हैलाल लखेरा, दफ्तरी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
13.	श्री लक्ष्मण सिंह चन्देल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
14.	श्री राजकिशोर कुम्हार, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
15.	श्री राजा सिंह, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
16.	श्री कृष्ण कुमार पटेल, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
17.	श्रीमती सविता साँधिया, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
18.	श्री प्रहलाद कोल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	60,000/-
		कुल योग रुपये	15,60,000/-

सदस्यता हेतु -

1.	श्री अमृतलाल तिवारी, कार्य सहायक
----	----------------------------------

उपरोक्त कर्मचारी की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर उक्त कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यता समाप्त हेतु -

- श्री रसीद खान, टेक्नीशियन की सदस्यता समाप्त की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार


कुलपति 24/8/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- संबंधित कर्मचारीगण
- वित्तीय नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
- संबंधित नस्ती

अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

24.8.2018

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2018 / 575

आदेश

रीवा दिनांक 15.10.18

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 06.10.2018 के अनुशंसा अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री अनिल सिंह, अनुभाग अधिकारी	पुत्री के शादी हेतु	1,00,000/-
2	श्री बेनी माधाव मिश्र, अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
3	श्री नागेश्वर प्रसाद मिश्र, सहायक अधीक्षक	माकान मरम्मत हेतु	60,000/-
4	श्री अमृतलाल तिवारी, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
5	श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
6	श्री मुन्नीलाल लखेरा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
7	श्री राजबहोर साकेत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
8	श्री रूक्म सिंह, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
9	श्री श्यामलाल रजक, चौकीदार	माकान मरम्मत हेतु	60,000/-
10	श्री ऋषिराज सिंह, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	1,00,000/-
11	श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
12	श्री विद्याता आदिवासी, दफ्तरी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
13	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
14	श्री रमेश कुमार तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-

सदस्यता हेतु -

श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, कार्य सहायक	सदस्यता मान्य की गई।
श्री रसीद खान, टेक्नीशियन	सदस्यता मान्य की गई।
श्री ब्यासमुनि मिश्रा, बस परिचालक	सदस्यता समाप्ति मान्य की गई।

उक्त कर्मचारी की सदस्यता मान्य की गई। इनके मूल वेतन से 02 प्रतिशत (नियमानुसार) कटौती कर कोष में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यता समाप्ति हेतु -

श्री ब्यासमुनि मिश्र, बस परिचालक की सदस्यता समाप्त की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2018 / 673

रीवा दिनांक / 8-12-18

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

काष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशसित राशि
1	श्री सुखम्बर प्रसाद बसोर, अनु.अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
2	श्री दिनेश कुम्हार वरि तकनीकी सहायक	मकान मरम्मत	60,000/-
3	श्री ददाल प्रसाद चर्मकार, अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
4	श्री अगिरा प्रसाद तिवारी, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
5	श्री विद्याधर पाण्डेय, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000/-
6	श्री उदयरज सिंह, प्रयोगशाला सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
7	श्री रामानुज विश्वकर्मा, वायरमैन	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
8	श्रीमती आशा सिंह, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
9	श्री रसीद खान टेक्नीशियन	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
10	श्री महादेव सोधिया चौकीदार	चिकित्सा हेतु	80,000/-
11	श्री वीरेन्द्र सिंह सुरक्षा गार्ड	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
12	श्री अशोक कुमार वर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
13	श्री जयनारायण सोनी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
14	श्री कलाश चर्मकार, वरि कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
15	श्रीमती गीता हरिजन, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
कुल योग रुपये			14,40,000/-

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्तीय नियंत्रक अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक सचानक आचार्योय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2019 / 781

रीवा दिनांक 28-11-19

आदेश


आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृति की गई राशि
1	श्री रामाश्रय कोल, अनुभाग अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000 / -
2	श्रीमती मंगला शुक्ला, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000 / -
3	श्री लोकनाथ कोल, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000 / -
4	श्री रमेश प्रसाद यादव, चालक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000 / -
5	श्री रमाकान्त शुक्ला, भृत्य	स्वयं की चिकित्सा हेतु	80,000 / -
6	श्री रमाकान्त तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000 / -
		कुल योग रुपये	5,80,000 / -


(कुल रुपये पाँच लाख अस्सी हजार मात्र)

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2020 / 160

रीवा दिनांक 13-3-2020

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	अनुशसित राशि
1	श्रीमती निशा निगम, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000/-
2	श्री नन्दलाल शर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
3	श्री श्याम सुन्दर बाजपेयी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
4	श्री रामहित काछी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
5	श्री प्रहलाद कोल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
6.	श्री रामचरण साकेत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
7.	श्री रामलाल वर्मा, भृत्य	माकान मरम्मत	60,000/-
8.	श्रीमती लक्ष्मीबाई सेन, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
9.	श्री सनत कुमार सेन, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
10.	श्री गोमती प्रसाद सिंह, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
11.	श्री बैजनाथ कोल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
		कुल योग रूपये	10,60,000/-


(दस लाख साठ हजार रूपये) मात्र

सदस्यता समाप्ति हेतु -

श्री तरुणेन्द्रमणि त्रिपाठी, अधीक्षक, वित्त विभाग की सदस्यता समाप्त की जाती है। इनके मूल वेतन से हो रही 02 प्रतिशत की कटौती बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 12/03/20

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2020 / 280

रीवा दिनांक 15.7.2020

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	मांगी गई राशि
1	श्री रामनरेश कोल, अनुभाग अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री रामकृपाल साकेत, ब० कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री शिवेन्द्र तिवारी, कार्य सहायक	माकान मरम्मत हेतु	60,000
4	श्री वीरेन्द्र सिंह, सुरक्षा कर्मी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री राजमणि शुक्ला, दफ्तरी	माकान मरम्मत हेतु	60,000
6	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री कृष्ण कुमार सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
8	श्री संजय कुमार आदिवासी, भृत्य	बहन की शादी हेतु	1,00,000
9	श्रीमती गीता, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10	श्री लक्ष्मण सिंह, चौकीदार	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
11	श्री मुन्नी लाल लखेरा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
12	श्री बृजनन्दन सिंह, भृत्य	माकान मरम्मत	60,000
		कुल योग रुपये	10,80,000

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

कुलसचिव

14/07/20

सहा.कुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2020/455

आदेश

रीवा दिनांक 07.10.2020

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री अनिल सिंह, अनुभाग अधिकारी	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री रामानन्द दुबे, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री सतेन्द सिंह, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्रीमती आरती पाण्डेय, कार्यसहायक	माकान निर्माण हेतु	60,000
5	श्री दिलीप कुमार साकेत, कार्यसहायक	माकान मरम्मत हेतु	60,000
6	श्री विधाता आदिवासी, दफ्तरी	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री राजकुमार केवट, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8	श्री अमर सिंह, चौकीदार	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
9	श्रीमती पुनीता दुबे, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10	श्री राजा सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
11	श्री ऋषिराज सिंह, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	60,000
12	श्री लल्लू लाल, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
13	श्री ओम प्रकाश, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
14	श्री आनन्द बहादुर चौधरी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
15	श्री अशोक कुमार वर्मा, कार्यसहायक	स्वयं की शादी हेतु	1,00,000
16	श्री संजय कुमार कामत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		पत्नी की चिकित्सा हेतु	25,000
		कुल योग रुपये	14,05,000
सदस्यता समाप्ति हेतु			
1.	श्री अरुण कुमार खरे, सहा.अधीक्षक	सदस्यता समाप्ति मान्य	
सदस्यता हेतु			
2.	श्री ओमप्रकाश कोल, भृत्य	सदस्यता मान्य	

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

कुलसचिव

6/10/20

उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

रीवा दिनांक 01.06.2021

क्रमांक/कार्मिक/2021/430

आदेश


कर्मचारी कल्याण कोष से कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण के समायोजन उपरान्त भुगतान की जाय। उक्त ऋण की वसूली मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत की गई राशि
1	श्री सुखम्बर प्रसाद बसोर, अनु.अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री हीरालाल साकेत, अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री दिनेश कुमार कुम्हार, तकनीकी अधि.	माकान मरम्मत हेतु	60,000
4	श्री सुनील सिंह, वरि.कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री अगिरा प्रसाद तिवारी कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
6	श्री कैलाश चर्मकार, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री राकेश कुमार वर्मा, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8	श्री आशुतोष द्विवेदी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
9	श्री रामखेलावन बागवान, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
10	श्री सीताराम काछी, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
11	श्री श्यामसुन्दर बाजपेयी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
12	श्री रमेश प्रसाद यादव, चालक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
13	श्री मोती लाल पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
14	श्री ठाकुरदीन यादव, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
15	श्रीमती गीता, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		कुल योग रु.	14,60,000


नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार


कुलसचिव
1.6.21

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


सहा.कुलसचिव (कार्मिक)
31.5.21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2020/707

रीवा दिनांक 10-9-2021

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत की गई राशि
1	श्री राजेन्द्र अवस्थी, अधीक्षक	माकान निर्माण हेतु	60,000
2	श्री आदित्य कुमार शुक्ला, वरि.कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री सुरेश कुमार तिवारी, क्लीनर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्री देवव्रत वर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री करण सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
6	श्री राजकिशोर कुम्हार, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री सन्त कुमार सेन, चौकीदार	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8	श्रीमती अंजू स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		योग रुपये	7,60,000
सदस्यता समाप्ति हेतु			
1.	श्री रामकुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1	सदस्यता समाप्ति मान्य	
2.	श्री नागेश्वर प्रसाद मिश्र, सहायक ग्रेड-1	सदस्यता समाप्ति मान्य	

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

PL
कुलसचिव
10/09/21

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

PL
सहायक कुलसचिव (कार्मिक)
10/09/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2021/838

रीवा दिनांक 27-10-2021

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत की गई राशि
1	श्री प्रेमलाल कोल, अधीक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री रामकृपाल साकेत, वरि.कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री गोपाल दास तिवारी, सहा.शिक्षक	माकान निर्माण हेतु	60,000
4	श्री रामनरेश दुबे, सहा.शिक्षक	माकान निर्माण हेतु	60,000
5	श्री शिवराज प्रजापति, कार्यसहायक	माकान निर्माण हेतु	60,000
6.	श्री अमृतलाल तिवारी, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
7.	श्री देवराज शर्मा, कार्यसहायक	माकान निर्माण हेतु	60,000
8.	श्री मुन्नी लाल लखेरा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
9.	श्री रमेश कुमार तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10.	श्री रामभगवान पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
11.	श्री राजबहोर साकेत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
12.	श्री दददीलाल गूजर भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
13.	श्री बुद्धसेन सौधिया, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
14.	श्रीमती लक्ष्मीबाई सेन, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
15.	श्री रुक्म सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
16.	श्री आनन्द बहादुर सिंह, प्राचार्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
17.	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
18.	श्रीमती मुन्नी स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
19.	श्री राजकुमार केवट, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
20.	श्री किशनलाल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
—	अठारह लाख चालीस हजार रू० मात्र	कुल योग रुपये	18,40,000

नोट— पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

26/10/21

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

सहायक/कुलसचिव (कार्मिक)

26/10/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2021/959

रीवा दिनांक 16-12-2021

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत की गई राशि
1	श्री बृजभान साकेत, अनुभाग अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2.	डॉ.शर्मिला देवी कोल, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री संतोष सिंह, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, कार्यसहायक	माकान मरम्मत हेतु	60,000
5	श्री मुद्रिका प्रसाद साकेत, वरि.कार्यसहायक	माकान मरम्मत हेतु	60,000
6.	श्री वीरेन्द्र सिंह, सुरक्षा कर्मी	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
7.	श्री विश्वनाथ पटेल, चालक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8.	श्री इन्द्रकुमार परोहा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8.	श्री रमाकान्त शुक्ल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		कुल योग रुपये	8,20,000

कर्मचारी कल्याण कोष में सदस्य हेतु-

1.	श्री ददोल प्रसाद साकेत, अधीक्षक	कर्मचारी कल्याण कोष में सदस्य मान्य की गई तथा कर्मचारी कल्याण कोष से ऋण रु.1,00,000 स्वीकृत
2.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, चौकीदार	कर्मचारी कल्याण कोष में सदस्य मान्य की गई

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

[Signature]
कुलसचिव 16/12/21
16-12-21

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

[Signature]
सहायक कुलसचिव (कार्मिक)
16/12/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

रीवा दिनांक 22-2-2022

क्रमांक/कार्मिक/2021/170

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री बुद्धसेन पटेल, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, कार्यसहायक	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
4	श्री रामचरण साकेत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
6	श्री ओमप्रकाश तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री अमर सिंह, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
8	श्री भगवानदीन पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
9	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10	श्री अनुज कुमार पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		कुल योग रुपये	10,00,000
सदस्यता समाप्ति हेतु			
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवस्थी, अधीक्षक	पूर्व ऋण का समायोजन उपरान्त सदस्यता समाप्ति मान्य	
2.	श्री देवराज शर्मा, कार्यसहायक	पूर्व ऋण का समायोजन उपरान्त सदस्यता समाप्ति मान्य	

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

hla
कुलसचिव 22/02/22
22.2.22

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

hla
सहायक कुलसचिव (कार्मिक)
22/02/2022

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2022 / 291

रीवा दिनांक 30-03-2022

आदेश


आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री रामसजीवन साकेत, अनु.अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री रामाश्रय कोल, अनु.अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
3	श्री यमुना प्रसाद वर्मा, वरि.कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्रीमती आशा अनुरागी, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्रीमती आरती पाण्डेय, कार्यसहाक	माकान निर्माण	60,000
6.	श्री बसंत कुमार पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7.	श्री महेन्द्र प्रसाद मिश्र, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
8.	श्री पन्नालाल नाई, भृत्य	माकान मरम्मत	60,000
9.	श्री रामहित्त काछी, भृत्य	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
10.	श्री गोमती सिंह, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
11.	श्री ओम प्रकाश, स्वीपर	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		कुल योग रुपये	10,20,000

नोट— पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 30/03/22

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


अनुभाग अधिकारी (कार्मिक) 30/3/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2022 / 452

रीवा दिनांक 02/06/2022

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री अनिल सिंह, अनुभाग अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार रावत, कार्यसहायक	मकान मरम्मत हेतु	60,000
3	श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्री भरत लाल मिश्र, कार्यसहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री रविकान्त रावत, सहा.शिक्षक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
6	श्री पुष्परज सिंह, सुरक्षा कर्मी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री वैजनाथ कोल, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000
8	श्री राजेश कुमार कोल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
9	श्री विधाता आदिवासी, दफ्तरी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10	श्रीमती पुनीता दुबे, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
11	श्री रामलाल वर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
12	श्री राजा सिंह, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000
13	श्री भरतलाल पटेल, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000
14	श्री रामप्रसाद पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
15	श्री रमाकान्त तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
16	श्री राजभान पटेल, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
		कुल योग रुपये	14,40,000

नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,

[Signature]
कुलसचिव 02/06/22

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

[Signature]
सहायक कुलसचिव (कार्मिक) 02/06/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2022 / 860

रीवा दिनांक 21-10-2022

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

1	श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा, अनु. अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
2	श्री राजेन्द्र अवस्थी, अधीक्षक	स्वयं की चिकित्सा	80,000
3	श्री शशिकान्त तिवारी, कार्य सहायक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
4	श्री रमेश प्रसाद यादव, चालक	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
5	श्री श्रीमसुन्दर बाजपेयी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
6	श्री रामसिंह कोल, सुरक्षा गार्ड	पुत्र की शादी हेतु	1,00,000
7	श्री सीताराम काछी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
8	श्री किशनलाल, भृत्य	बहन की शादी हेतु	1,00,000
9	श्री राजबहोर साकेत, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
10	श्री संतोष कुमार पाठक, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	60,000
11	श्रीमती उर्मिला मिश्रा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
12	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद शुक्ला, चौकीदार	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
13	श्री छवि शेखर राय, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	60,000
14	श्री रजनीश कुमार साकेत, भृत्य	माकान मरम्मत हेतु	60,000
15	श्री जीतेन्द्र कुमार वर्मा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
16	श्री रमेश कुमार तिवारी, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
17	श्री कृष्ण कुमार सिंह, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
18	श्री मुन्नीलाल लखेरा, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000
	रुपये सोलह लाख साठ हजार मात्र	कुल योग रुपये	16,60,000
	कर्मचारी कल्याण कोष की सदस्यता		
1.	श्री प्रभात कुमार मिश्र, भृत्य	सदस्यता मान्य की जाती है	


नोट- पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,


कुलसचिव
21/10/22

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


सहायक कुलसचिव (कार्मिक)
21/10/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2023 / 006

रीवा दिनांक 03/01/2023

आदेश

आदेशानुसार, कर्मचारी कल्याण कोष से निम्नांकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऋण राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कोष के नियमावली के अध्याय-4 के पैरा-5 के प्रावधान अनुसार ऋण राशि संबंधित कर्मचारियों के पूर्व के शेष ऋण समायोजन उपरान्त मासिक वेतन से 30 किस्तों में कटौती कर कोष में जमा की जावेगी तथा उसमें नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

क्र०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वांछित ऋण का कारण	स्वीकृत राशि
1	श्री सुखम्बर प्रसाद बसोर, अनुभाग अधिकारी	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
2	श्री दिलीप साकेत, कार्यसहायक	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
3	श्री अशोक कुमार वर्मा, कार्यसहायक	स्वयं की चिकित्सा	80,000/-
4	श्री रामदीनपाल, भृत्य	मकान मरम्मत हेतु	60,000/-
5	श्री रमाकांत मिश्रा, चौकीदार	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
6.	श्री रामभगवान पाण्डेय, भृत्य	पुत्री की शादी हेतु	1,00,000/-
		कुल योग रुपये	500,000/-
	कर्मचारी कल्याण कोष की सदस्यता हेतु		
	श्री निहाल पाण्डेय, कार्य सहायक	सदस्यता मान्य की गई	
	श्री बिपिन कुमार कुशवाहा, भृत्य	सदस्यता मान्य की गई	
	श्री संतोष कुमार वर्मा, भृत्य	सदस्यता मान्य की गई	
	सदस्यता समाप्त		
1.	राजमणि शुक्ला, दपतरी	सदस्यता समाप्त की गई।	

नोट— पुत्र/पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व आमंत्रण-पत्र संलग्न करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. संबंधित कर्मचारीगण
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, अ0 प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती


अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के गैर शिक्षक तथा गैर अधिकारी कर्मचारियों हेतु पदोन्नति

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु विनियम का मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत चलाये गये परिनियम 31 की कण्डिका 4 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सृजन किया जाता है। ये विनियम विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समस्त विभागों में इन्हें लागू माना जायेगा। बशर्ते कि अधिनियम, तथा तत्संबंधी परिनियमों अध्यादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। पदोन्नति हेतु प्रक्रिया :-

- (1) विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के समस्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति की सामान्यतया जुलाई माह में प्रकाशित करेगा।
- (2) विश्वविद्यालय वर्ष के सितम्बर माह तक जो भी रिक्तियां होंगी उन्हें पदोन्नति से भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुशंसा प्राप्त कर पदोन्नति की कार्यवाही करेगा।
- (3) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा।

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का एक वरिष्ठ आचार्य	अध्यक्ष
2. एक प्रशासनिक अधिकारी जो उपकुलसचिव के पद से निम्न न हो	सदस्य
3. विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी	सदस्य
4. एक विश्वविद्यालय अधिकारी जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग की श्रेणी का हो।	सदस्य
5. कुलपति जी द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति	सदस्य
- (4) विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार सामान्यतया अक्टूबर माह में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आमंत्रित करेगा। आवश्यकतानुसार कुलपति एक से अधिक बार भी इस बैठक को आमंत्रित करने का आदेश दे सकेंगे।
- (5) जितने पद वर्ष के माह सितम्बर तक रिक्त होंगे, उसके सामान्यतया पांच गुने तक अनुसूची एक में दर्शाये अनुसार कर्मचारियों की सूची वरिष्ठता/योग्यता कम में तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति हेतु उन कर्मचारियों को अवसर मिल सकेगा, जिन्होंने अपने कार्यरत पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया है।
- (6) विचार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर अनुसूची एक के अनुसार होगी। पदोन्नति समिति कर्मचारी की कार्य क्षमता का मूल्यांकन पिछले तीन वर्ष की वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर पदोन्नति करते समय टंकण का अधिभार दिया जावेगा।

- (7) पदोन्नति करते समय तत्समय राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। इसके लिये रोस्टर प्रणाली को लागू कर एक विधिवत रजिस्टर/अभिलेख विश्वविद्यालय तैयार करेगा।
- (8) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये उपयुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा योग्यता के अनुसार सूची तैयार करेगी। इस सूची में रिक्त पद के सामान्यतया तीन गुने व्यक्तियों का नाम रखा जावेगा। यह पदोन्नति सूची एक वर्ष तक वैध रहेगी। एक वर्ष के बाद प्रकरण पुनः विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रिक्तियां होने की दशा में रखा जावेगा।
- (9) विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनिवार्य रूप से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति को लिखवाकर प्रति हस्ताक्षरित करवाकर अपने पास सीलबंद लिफाफे में प्राप्त करेंगे। यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई टिप्पणी की गई है तो उसे उस कर्मचारी को सूचित किया जावे तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उचित निर्णय यदि संतोषजनक उत्तर है तो दिनांक 31 जुलाई तक कुलपति उस टिप्पणी को कुलसचिव की अनुशंसा पर विलोपित कर सकेंगे।
- (10) गोपनीय प्रतिवेदन/चरित्रावली बिल्कुल स्पष्ट तथा कर्मचारी के कार्य व्यवहार आचरण तथा अनुशासन का मूल्यांकन कर ही अंकित की जायेगी तथा उल्लिखित ग्रेड में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। कर्मचारी को प्रदत्त ग्रेड तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखकर पदोन्नति की अनुशंसा करेगी तथा काम का निर्धारण भी करेगी।
- (11) गोपनीय चरित्रावली में स्पष्ट रूप से असाधारण/विलक्षण कार्य करने वाले, बहुत अच्छा कार्य करने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, साधारण/सामान्य कार्य करने वाले तथा घटिया कार्य करने वाले कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावे :-

वर्गीकरण	ग्रेड	समतुल्य अंक
असाधारण/विलक्षण	ए+	10
बहुत अच्छा	ए	8
अच्छा	बी	6
सामान्य	सी	4
घटिया	डी	2

विगत तीन वर्षों की चरित्रावली के ग्रेड के समतुल्य अंकों का योग 12 से कम होने पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पदोन्नति की पात्रता हो सकेगी।

- (12) यदि पदोन्नति समिति यह समझती है कि कोई कनिष्ठ कर्मचारी विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त पाया जाता है तो उसका नाम वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में सूची में उच्च स्तर पर रखा जा सकेगा, परन्तु पदोन्नति समिति को ऐसा करने के लिये युक्ति युक्त कारण अभिलिखित करना होगा।
- (13) यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को अतिक्रमित कर पदोन्नति की अनुशंसा की गई है तो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकरण का पुनर्वलोकन/पुनरीक्षण कर सकेंगे।

- (14) यदि पदोन्नति समिति द्वारा अनुशासित पदोन्नति सूची में शामिल कर्मचारी अपने कर्तव्योक्त के पालन में असावधानी/अनुशासनहीनता करता है तो विश्वविद्यालय के कुलपति इस अन्तराल में उस व्यक्ति का नाम चयन सूची से विलोपित कर सकेंगे।
- (15) यदि कुलपति किसी भी प्रकार के तथ्य से आश्वस्त हो जायें कि पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश विश्वविद्यालय के हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है तो पुनर्विचार हेतु पदोन्नति समिति को पुनः प्रकरण विचारार्थ भेजेंगे। पदोन्नति समिति के पुनर्विचार के पश्चात् कुलपति द्वारा लिया निर्णय अंतिम होगा।
- (16) यदि कोई कर्मचारी, की गई पदोन्नति के फलस्वरूप उत्पीड़ित महसूस कर रहा है तो कुलपति को अपनी अपील पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। कुलपति द्वारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची - एक

तृतीय श्रेणी

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिये अर्हतायें
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अधीक्षक (विभागीय अधिकारी)	कनिष्ठ अधीक्षक (अधीक्षक) या उसके समतुल्य पद	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का न्यूनतम अनुभव।
2.	कनिष्ठ अधीक्षक उ.श्रे.लि. (अधीक्षक)	वर्ग-स्टेनोग्राफर या इसके समतुल्य लिपिकीय वर्ग	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव
3.	उ.श्रे.लि. वर्ग-1	उ.श्रे.लि. वर्ग-2 या इसके समतुल्य लिपिकीय वर्ग	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव
4.	उ.श्रे.लि. वर्ग-2	निम्न श्रेणी लिपिक/टंकणक पद	कालम 3 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव एवं टंकणक का प्रमाणपत्र।

उपरोक्तानुसार कालम दो में दर्शाये गये पदों पर कालम तीन में दर्शाये गये पदों से पदोन्नति का कोटा शत प्रतिशत होगा, किन्तु पदोन्नति के लिये म.प्र. शासन के नियमानुसार आरक्षण के साथ रोस्टर प्रणाली के अनुसार दिया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी

1. निम्न श्रेणी लिपिक	दफ्तरी, लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट, बुक लिफ्टर, हेड मृत्य/हेड माली जमादार, चौकीदार, मृत्य, अर्दली माली, फरीश, स्वीपर, पम्प अटेन्डेन्ट विद्युत अटेन्डेन्ट	न्यूनतम योग्यतायें हायर सेकेण्ड्री एवं शासकीय नियमानुसार टंकण हिन्दी अथवा अंग्रेजी। यदि टंकण का ज्ञान नहीं है तो योग्यता के आधार पर पदोन्नति से दो वर्ष के अंदर टंकण ज्ञान आवश्यक है।
-----------------------	--	---

नोट :-

- (1) निम्न श्रेणी लिपिक पद पर 25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पदोन्नति की जायेगी, तथा 25 प्रतिशत पद दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिकों से नियमितकरण से भरे जायेंगे। शेष 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जायेंगे। पदोन्नति/नियमितकरण से नियुक्त तथा सीधी भर्ती से नियुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्समय लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के अन्य तकनीकी पदों सहायक सार्विखकी अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, शोध सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, टेक्नीशियन, ए.बी.बी.डी.ई., स्टेनोग्राफर क्यूरेटर, डाकूमेन्टेशन असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, कुलपति जी के सचिव, इलेक्ट्रीशियन, पुस्तकालय सहायक, मशीन आपरेटर, कैटलागर, तकनीकी सहायक पुस्तकालय, खानसामा, ड्रायर, मिस्त्री, प्लम्बर, पम्प अटेन्डेन्ट, कारपेन्टर, सुरक्षा गार्ड, इन पदों को सीधी भर्ती से खुली प्रतियोगिता से भरा जायेगा।
- (3) अनुसूची 1 से किसी उच्च पद पर जो परिनियम 20 में प्रावधित नहीं है, किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रावधानानुसार सृजित किये गये हों। उन्हें सीधी भर्ती से खुली प्रतियोगिता से भरा जायेगा।
- (4) विश्वविद्यालय निर्माण विभाग में सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं ड्राफ्टमेन आदि पदों पर पदोन्नति या भर्ती लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार की जायेगी।
- (5) विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के प्रकरण जिनमें पूरी सेवाकाल में पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं, उनके अनुभव व योग्यता को ध्यान में रखते हुये उसी पद पर रखते हुये शासकीय नियमों के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान जो प्राप्त वेतनमान से उच्च श्रेणी का हो प्रदान किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान प्राप्त करने हेतु पात्रता 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर ही होगी।
- (6) विश्वविद्यालय में पदस्थ मृत्य/चौकीदार जिनकी सेवा अवधि 20 वर्ष से ऊपर है तथा सेवा अभिलेख अच्छा है तथा पदोन्नति का कोई अवसर/संभावना नहीं है। उनको परिनियम 31 की परिशिष्ट में दिये गये उच्च पद हेतु मृत्य का वेतनमान प्रदान किया जा सकता है, परन्तु ऐसे उच्च वेतनमान में क्रमोन्नति कुल चौकीदार/मृत्य की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक न होगी। इसी अनुक्रम में माली की क्रमोन्नति हेड माली में की जा सकेगी।
- (7) जो कर्मचारी अपने पद पर लंबे समय से पदस्थ हैं, पदोन्नति प्राप्त न होने से (Stagnation) पर हैं, उन्हें दो वर्ष के अन्तराल में वेतन वृद्धि शासन के नियमानुसार देय होगी।

22. दिनांक 1.4.2006 से लागू समयमान वेतनमान योजना

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक/एफ 11/1/2008/नियम/चार,

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

मध्यप्रदेश ।

विषय : मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17 मार्च, 1999/19-4-1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17-5-2000.

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है ।

2. सिविल सेवाओं में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ" तथा "ब" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा । सीधी भर्ती से तात्पर्य संवर्ग में स्वीकृत पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार प्रतियोगी एवं विभागीय परीक्षा में जो सभी के लिये समान रूप से खुली हैं, के अनुसार भर्ती से हैं । ऐसी सीमित विभागीय चयन परीक्षा जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हों, के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ ऐसी नियुक्ति के दिनांक से इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान की पात्रता हेतु गणना की जाएगी ।

3. यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक् से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है ।

4. इस योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिए निर्धारित हैं । यदि सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत जिस संवर्ग में पदोन्नति होती है उसका वेतनमान इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उच्चतर वेतनमान से भी उच्चतर है तो सीधी भर्ती वाले संवर्ग का श्रेणीकरण कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, तथा प्रवर श्रेणी जैसा उपयुक्त हो, में किया जायेगा । यदि इस योजनान्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान पदोन्नत संवर्ग के वेतनमान से उच्चतर है, तो इस योजना अन्तर्गत

प्राप्त होने वाला उच्चतर वेतनमान व्यक्तिगत वेतन के रूप में ही देय होगा और इसके लिये सेवा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती वाले संवर्ग का पृथक् से श्रेणीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा इस संशोधित योजना अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान के लिए निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान, जैसा लागू हो, का लाभ 1-4-2006 से प्राप्त होगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आप्र./99 दिनांक 17 मार्च, 1999/19-4-1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17-5-2000, के अनुसार क्रमोन्नत वेतनमानों के अंतर्गत प्राप्त लाभ संबंधी प्रकरणों, को पुनः नहीं खोला जायेगा ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुए, इस योजना का लाभ दिनांक 1-4-2006 से दिया जायेगा ।

7. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त है, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22(ए) (ii) के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा । यदि पदोन्नति के समय पहले से ही उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजनांतर्गत नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् भी व्यक्ति वेतन के रूप में करेगा ।

8. यदि इस योजना अन्तर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान में नियुक्त रहते हुए कोई शासकीय सेवक उसी वेतनमान में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता प्रथम उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से होगी ।

9. दिनांक 1-4-2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिए निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1-4-2006 से होगी । दिनांक 1-4-2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है तो उसे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

10. यदि किसी शासकीय सेवक की दिनांक 1-4-2006 को प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिए निर्धारित सेवा अवधि से अधिक सेवा अवधि है तो अधिक सेवा अवधि द्वितीय वेतनमान की पात्रता के लिये गणना में ली जायेगी । उदाहरणार्थ यदि प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिए 8 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है और दिनांक 1-4-2006 को उसकी कुल सेवा अवधि 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो शेष 4 वर्ष की अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान हेतु गणना में ली जायेगी अर्थात् जिस भी दिनांक को उसकी सेवा अवधि 16 वर्ष हो जाती है उस दिनांक से उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर,

2006 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिए वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुए, इस योजना का लाभ दिनांक 1-4-2006 से दिया जायेगा, उनके मामलों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वेतनमान में शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जायेगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए (i) के अंतर्गत नहीं होगा।

12. यदि किसी शासकीय सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के सन्दर्भ में अंकित परिपत्रों के द्वारा लागू क्रमोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामलों में इस परिपत्र के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्तता के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों में पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होंगे।

13. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करे से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा। परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19 अप्रैल, 1999 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 17-5-2000 में दर्शित प्रावधानों को इस सीमा तक संशोधित माना जाए।

15. विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार उच्चतर वेतनमान का प्रावधान किया जाएगा। इस परिपत्र के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित विभिन्न विभागों के विभिन्न संवर्गों को प्रत्येक के सामने अंकित किये अनुसार उच्चतर वेतनमानों की पात्रता इसी परिपत्र के अनुसार होगी। परिशिष्ट-2 में जिन विभागों/संवर्गों का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में, प्रचलित क्रमोन्नति योजना में संशोधन/प्राप्त प्रस्तावों/मांगों पर विचार किए जाने हेतु प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के प्रकाश में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

16. इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन कर शासकीय कर्मचारी को भुगतान किया जावे। उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन पश्चात् शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जाँच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए। सभी विभागों में पदस्थ मध्यप्रदेश वित्त सेवा के उपसंचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी भी इन प्रकरणों की जाँच हेतु अधिकृत किए जाते हैं।

17. समस्त विभाग इन निर्देशों के प्रकाश में उनके द्वारा प्रशासित सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान/संशोधन करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान

क्रमांक	वर्ग	प्रारम्भिक वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतनमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वर्ग-अ	10000-15200	12000-16500	14300-18300
2.	वर्ग-ब	8000-13500	10000-15200	12000-16500
3.		6500-10500	8000-13500	10000-15200
4.	वर्ग-स	5500-9000	6500-10500	8000-13500
		एवं		
		5000-8000		
5.		4500-7000	5500-9000	6500-10500
6.		4000-6000	4500-7000	5000-8000
7.		3500-5200	4000-6000	4500-7000
		एवं		
		3050-4590		

समयमान वेतनमान योजना में वेतन निर्धारण

उदाहरण

(अ) समयमान वेतनमान स्वीकृत होने के दिनांक से ही वेतन निर्धारण कराने का विकल्प देने की स्थिति में वेतन निर्धारण-

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधन वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	रिमार्क (5200-20200+1900)
1.1.06	4430	8240	1900	
1.7.06	-	8550	1900	
1.7.07	-	870	1900	

1.7.08 को आगामी वेतनवृद्धि की तिथि होगी ।

वेतन रु. 8870/- का 3%

अर्थात् रु. 270/- जोड़ कर

रु. 9140/- पर वेतन

निर्धारित होगा ।

(ब) समयमान वेतनमान स्वीकृत होने की तिथि से वेतन निर्धारण न कराते हुए आगामी वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारण का विकल्प देने की स्थिति में वेतन निर्धारण-

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधन वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	रिमार्क (5200-20200+1900)
1.1.06	4430	8240	1900	
1.7.06	-	8550 (5200-20200)	1900 2400	
1.2.07		8550	2400	केवल ग्रेड पे मिलेगी ।
1.7.07		9140	2400	8550 + 1900 का 3% को 8550 में जोड़ने पर जो आयेगा उसका फिर 3% गणन कर उसे जोड़ा जाएगा अर्थात् 8550 + 1900 = 10450 का 3% = 320 तथा 8550 + 320 = 8870 का 3% = 270 गणन किया । इस प्रकार 8550 + 320 + 270 = 9140 पर वेतन नियत होगा ।

वित्त संहिता

155. प्रत्येक माह अशदान कटौत को तत्काल संबंधित के खाते में जमा कराने का उत्तरदायित्व वित्त अधिकारी का होगा।
156. प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को वित्त अधिकारी द्वारा प्रत्येक अशदाता को उसके भविष्य निधि के लेखों का पत्रक प्रेषित किया जावेगा, जिसमें गत वित्तीय वर्ष का शेष वित्तीय वर्ष में जमा वित्तीय वर्ष में आहरण तथा देय व्याज की प्रविष्टियाँ होंगी। ऐसे विवरण पत्रक संबंधित अशदाता को प्राप्त हो, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करना का उत्तरदायित्व वित्त अधिकारी का होगा।
157. ऐसे पत्रक प्राप्त होने पर, अशदाता का यह दायित्व है कि विवरणों को जांच कर संतुष्टि कर ले तथा विसंगति होने पर, पत्रक प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वित्त अधिकारी को सूचित करें। वित्त अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अशदाता को उचित उत्तर देगा।

अध्याय - बारह - ऋण एवं अग्रिम

सामान्य

158. विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के सेवकों को दिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिमों को सामान्यतया निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

(अ) ऐसे ऋण जिन पर व्याज देय है जैसे —

- (i) गृह निर्माण हेतु, मुखण्ड का क्रय अथवा मुखण्ड पर मकान का निर्माण अथवा बने बनाए मकान का क्रय हेतु,
- (ii) मोटर कार क्रय करने के लिए
- (iii) मोटर सायकल / स्कूटर / मोपेड क्रय करने के लिए
- (iv) साईकल क्रय करने के लिए
- (v) अनाज क्रय करने के लिए।

153. भा
लि
ति
154. क
क

(ब) ऐसे अग्रिम जिन पर ब्याज देय नहीं है जैसे -

(i) त्यौहार अग्रिम

(ii) यात्रा अग्रिम / स्थानान्तर पर यात्रा अग्रिम।

(स) विश्वविद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कार्यों के लिए अन्य अग्रिम जैसे -

(i) मण्डार क्रय हेतु

(ii) छात्र कल्याण की गतिविधियाँ

(iii) परीक्षा कार्य

(iv) परियोजनाओं हेतु

(v) अन्य विविध कार्य।

(द) स्थायी अग्रिम

स्वीकृतियाँ - शक्ति

159. नियम 158 के अनतर्गत विश्वविद्यालय निधि से स्वीकृत किए जाने वाले ऋण तथा अग्रिमों के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। नियम 158 (अ) (i), (ii), व (iii), (स) (i), (ii) व (iv) तथा (द) की स्वीकृति कुलपति द्वारा दी जायेगी जबकि नियम 158 (अ) (iv) व (v) (ब) तथा (स) (i) व (v) की ऐसी राशियों जो 10,000/- से अधिक न हों, कुल सचिव द्वारा दी जावेगी। नियम 158 (अ) से (स) तक के ऋण तथा अग्रिम खण्ड 'तीन से छ' में दिए गए नियमों के अधीन होंगे जबकि नियम 158 (द) स्थायी अग्रिम नियम 77 से 79 में दिए गए नियमों के अधीन होंगे।

क्रमांक
374

विभाग
910512- (वि. 2)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय.....
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये बर्दी का कपड़ा कय वर्ष 2016 एवं 2017

विषयाकितं कार्य हेतु कय समिति के द्वारा बर्दी के कपड़े की दरे स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष वार पात्र कर्मचारियों के लिये निम्नांकित विवरण अनुसार कपड़ा कय किया जाना है-

706528
28-9-18

क	कपड़े का विवरण	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	तादाद	स्वीकृत दर	धनराशि
1	खाखी/सफेद कपड़ा (165X5.20 एवं 7X6)	2016	172	900 मी.	185/- प्रति मी	166500/-
2	खाखी/सफेद कपड़ा (165X5.20 एवं 7X6)	2017	172	900 मी.	185/- प्रति मी	166500/-
3	गरम बर्दी नीला ब्लेजर (पूर्व 2013 में प्रदाय)	2016	52	136 मी.	307/- प्रति मी	41752/-
4	गरम बर्दी नीला ब्लेजर (पूर्व 2014 में प्रदाय)	2017	49	129 मी.	307/- प्रति मी	39603/-
5	महिला साल (पूर्व 2013 में प्रदाय)	2016	15	15 नग	490/- प्रति नग	7350/-
6	महिला साड़ी ब्लाउज पीस एवं पेटीकोट सहित	2016	15	30 सेट	570/- प्रतिसेट	17100/-
7	महिला साड़ी ब्लाउज पीस एवं पेटीकोट सहित	2017	15	30 सेट	570/- प्रतिसेट	17100/-
कुल योग--						455905/- +

अपडार-171
28-9-18

उक्त प्रस्ताव में अंकित दरें कय समिति द्वारा दिनांक 29.8.2018 को अनुशंसित एवं माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 10.9.18 को अनुमोदित है, निर्णय की प्रति संलग्न है।

कृपया प्रस्तावानुसार रूपये 455905/- (रूपये चार लाख पचपन हजार नौ सौ पाँच) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही हेतु पत्रावली वित्त नियंत्रक की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकन एवं प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

DR (store)

50/10/18

26-9-18

28/9/18

28/9/18
28/9/18

Dr. ST
28/9/18

प्रेषक
कुलसचिव
ओप्रोसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्या.प्रति

क्रयादेश

विभाग..... 91057

मद.....

दिनांक 8-10-18 क्रमांक 123

प्रति,

100-48

मेसर्स J.P. & Sons (Punjab) Pvt. Ltd. (M.P.)
S. 11222, B. 101 (M.P.)

33

2016-17

वर्ष 2016

वर्ष 2017

सन्दर्भ- आपका कोटेशन क्रमांक..... दिनांक.....

- उपरोक्त सन्दर्भ एवं क्रय समिति के निर्णय के अनुक्रम में कृपया निम्नलिखित सामग्री निम्न शर्तों पर प्रदाय करें।
- क्रयादेश दिनांक से 21 दिवस के अन्दर सामग्री प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा क्रयादेश प्रभाव शून्य/निरस्त माना जायेगा।
- सामग्री प्रदाय के लिए रीवा, सेन्ट्रल रेलवे हेतु आर.आर.पूर्व भुगतान करके प्रेषित करें।
- शासन द्वारा अन्य समस्त कर जो देय हैं, मान्य होंगे।
- देयक तीन प्रतियों में भाड़ा रसीद, बीमा रसीद एवं पैकिंग की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय।

क्र.सं.	सामग्री का नाम तथा विवरण	दर	मात्रा/तादात	राशि		विशेष टिप्पणी
				रु.	पै.	
1	अनामक चूना (क. 31248) 1851	2000 मी.	166,500	00		
2	अनामक चूना (क. 31248) 1851	500 मी.	166,500	00		
3	अनामक चूना (क. 31248) 1851	265 मी.	81,355	00		
4	अनामक चूना (क. 31248) 1851	15 मी.	7750	00		
5	अनामक चूना (क. 31248) 1851	602 मी.	34,200	00		
				4,55,905	00	

क्रयादेश की प्राप्ति तथा सामग्री जो आप प्रदाय करने में असमर्थ हैं की सूचना लौटती डाक से तत्पश्चात्

विभागाध्यक्ष

प्रेषक
कुलसचिव
अ०प्र०सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

द्वितीय प्रति
क्रयादेश

विभाग भिक्षा
मद
दिनांक 2-8-21 क्रमांक 312

प्रति, 34
मेसर्स श्री ५०२१०० पाषराम
पुनः २१६२२२ रीवा म.प्र. ५०२१००
27 वर्ष 2018
वर्ष 2019

सन्दर्भ- आपका कौटर्शन क्रमांक ५०२१०० - २१६२२२ रीवा (म.प्र.)
दिनांक २०१८

- उपरोक्त सन्दर्भ एवं क्रय समिति के निर्णय के अनुक्रम में कृपया निम्नलिखित सामग्री निम्न शर्तों पर प्रदाय करें।
- क्रयादेश दिनांक से 21 दिवस के अन्दर सामग्री प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा क्रयादेश प्रभाव शून्य/निरस्त माना जायेगा।
- सामग्री प्रदाय के लिए रीवा, सेन्ट्रल रेलवे हेतु आर.आर.पूर्व भुगतान करके प्रेषित करें।
- शासन द्वारा अन्य समस्त कर जो देय हैं, मान्य होंगे।
- देयक तीन प्रतियों में भाड़ा रसीद, बीमा रसीद एवं पैकिंग की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।

क्रमांक	सामग्री का नाम तथा विवरण	दर	मात्रा/तादात	राशि		टिप्पणी
				रु.	पै.	
1.	देरीवाल (कॉलमिटर) 22 वारकी/20 मी वर्ष 54 (i) 22 वारकी 54 930.80 (ii) 20 मीटर 54 930.80 1861.60	R 1791 9.11	1861.60	333,226		(1) सामग्री राशि 3) क्वॉर रिजिस्ट्रेशन 2) क्वॉर क्रेडिट का पायपर क्रेडिट का क्रेडिट का
2.	लेजर का कागज पाउंड ला नाला 316 54	R 454 9.11	182	82,628		
3.	महिला आड़ी (ला 34 पीरवाली) 5.5 मीटर	R 7181 9.25E	60	4308		
4.	अनीवाल (महिला) 2x6 मीटर	R 680 9.11	15	10,200		
5.	54 का कागज 54	R 901 9.11	75	6750		
Grand Total				475,804		
GST 5% (E)				23790		
Round Up (+)				499674		
Total R 4,99,674						

कृपया क्रयादेश की प्राप्ति तथा सामग्री जो आप प्रदाय करने में असमर्थ है की सूचना लौटती डाक से तत्काल

कुलसचिव
2018.21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

310...

विभाग

9153...

नस्ती क्रमांक

विषय चतुर्थ अंकी वन. धरु वर्ग का वृक्ष 2018 एवं 2019

की एक एक एक

एक एक वृक्ष (309) पर उत्तम पात 5 अंश में
 माप के 100 वन उत्तमों वरु है प्रस्तुत की गई है।
 जिसके एक सौरी की लंबु किंमत 256-21 के क-प्र-शुभ
 फावरलने एक 200-संका मफे। पुरदानपुर धरुव-सोड की
 है मरुद की गई है। यह उत्तम किमतीकरण है।

क्र०	पातसावक	वनचारा संख्या	वृक्ष संख्या	कुल माप	रक. मा.	व. नं०
1	वर्ष 2018 के पात चन (अभार, 2018)	180 एकक वन. 180 x 5.20 मी.	936 मी०	1861.6 मी०	R. 179/- 9 मी०	3,33,226 = 40
2	वर्ष 2019 के पात वन (अभार, 2019)	178 एकक वन. 178 x 5.20 मी.	925.6 मी०			
3	वर्ष 2018 के पात वन (अन्य क्षेत्र नीला)	44 एकक वन. 44 x 2.60 मी.	114.4 मी०	182 मी०	R. 454/- 9 मी०	8,26,28 = 60
4	वर्ष 2019 के पात वन (अन्य क्षेत्र नीला)	26 एकक वन. 26 x 2.60 मी.	67.6 मी०			
5	वर्ष 2018 के पात वन (अन्य क्षेत्र नीला, वन/वन)	15 एकक वन. 15 x 2	30 एकक वन. वन/वन	30 एकक	R. 718/- 9 मी०	21,540 = 60
6	वर्ष 2019 के पात वन (अन्य क्षेत्र नीला)	15 एकक वन.	15 एकक वन.	15 एकक	R. 680/- 9 मी०	10,200 = 60
7	3451 नरक अन्य 55"	-	75 मी०	75 मी०	90/- 9 मी०	6,750 = 60
8	वर्ष 2019 के पात वन (अन्य क्षेत्र नीला, वन/वन)	15 एकक वन. 15 x 2	30 एकक वन. वन/वन	30 एकक	R. 718/- 9 मी०	21,540 = 60

G.S.T. 5 %

R 47,588.4 = 60

23,794 = 22

Total

R 4,99,678 = 62

Round up 4,99,679

(व-वार लाने किमतीकरण एम 2 1: 2018 व 2019)

P.T.O.